

00009746
क्रमांक (Sr. No.)

0765255

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश Board of High School and Intermediate Education, U.P.



इण्टरमीडिएट परीक्षा-२०१७ Intermediate Examination-2017

प्रमाणपत्र-सह-अंकपत्र (CERTIFICATE-CUM-MARKS SHEET)

अनुक्रमांक Roll No.	जनपद/केन्द्र/विद्यालय कोड Distt./Centre/School Code	संस्थागत/व्यक्तिगत Regular / Private	परीक्षा प्रवर्ग Exam. Type	विषय-वर्ग Subject-Group	प्रमाणपत्र क्रमांक Certificate No.
0496079	21/02507/1096	REGULAR	FULL EXAM	B-SCIENCE	21009745

प्रमाणित किया जाता है कि (This is to certify that)

परिषद् के अभिलेखानुसार (according to the Board's record)- **PRARIT VIKRAM**

आत्मज/आत्मजा श्रीमती (son/daughter of Mrs.)- **RAJESHWARI DEVI**

एवं श्री (and Mr.)- **LALIT VIKRAM**

ने मार्च/अप्रैल 2017 की इण्टरमीडिएट परीक्षा विद्यालय/केन्द्र (has passed Intermediate Examination held in March/April 2017
from School/Centre)- **M S I C AGWANPUR MORADABAD**

से श्रेणी (with division)- **FIRST**

परीक्षार्थी द्वारा उत्तीर्ण विषयों के प्राप्तांक निम्नवत हैं (Marks obtained by the candidate in passed subjects are as under) :-

विषय Subject	अधिकतम अंक Max. Marks	प्रश्नपत्रवार प्राप्तांक Paper-wise Obtained Marks	योग Total	सम्पूर्ण योग एवं परीक्षाफल Grand Total & Result
GENERAL HINDI	100	1/29 2/38	067	307/500 PASSED
ENGLISH	100	1/40 2/30	070	
MATHEMATICS	100	1/29 2/25	054	
PHYSICS	100	1/22 2/18 040 P/27	067	
CHEMISTRY	100	1/12 2/13 025 P/24	049	
SPORT & PHY EDU	100	T/49 P/50	099	

Note :- Marks of Sports and Physical Education will have no effect on overall Result.

'D' indicates Distinction in that particular subject,
'HONOURS' indicates candidate "passed with honour"

Note : For Important Instructions see overleaf

तिथि (Date)- **9TH JUNE, 2017**

स्थान (Place)- **Allahabad, Uttar Pradesh**



श्रीमती शैल यादव
(Smt. Shail Yadav)
सचिव (Secretary)

Intermediate Examination - 2017

Abbrv. Name	Full Name of the Subjects	Abbrv. Name	Full Name of the Subjects
MUSIC INSTRUMTL BOOK KEEP & ACCT BUSI ORG & CRPND ECO & COML GEOG INDUSTRIAL ORG MATH & ELE STATS AGRONOMY FIRST	Music Instrumental Book-Keeping & Accountancy Business Organization & Correspondence Economics & Commercial Geography Industrial Organization Mathematics & Elementary Statistics Agronomy (General Farms, Crops, Soils And Manures) For Agriculture Part-1 Candidates, Agricultural Botany	VOC BAKE & CONFEC VOC TXTL DESIGN VOC WEAV TECH VOC NTC CARE VOC LIBRARY SC VOC MUL HWK LCTP VOC C PHOTOGRAPHY VOC RD & CTR TECH VOC DAIRY TECH VOC SEED PR TECH VOC CROPP PT TECH VOC PLNT NURSRY VOC SOIL CONSRV VOC ACCT & AUDIT VOC S & TYP HINDI VOC S & TYP ENGL VOC MKRT & SLES VOC SEQR PRACCT VOC HMTS & ENG TYP VOC AF & LO TECH VOC HB & CCA PRT VOC METALL CULD VOC METAL ENGRV VOC COMTEC & MTN VOC DOMEST. REPR	Baking & Confectionary Textile Design Weaving Technology Nursery Teachers Training & Child Care Library Science Multi purpose Health Worker With Lab Technique Crop Photography Road & Central Television Technique Dairy Technology Seed Production Technology Crop Protection Technology Plant Nursery Soil Conservation Accountancy & Auditing Shorthand & Typewriting Hindi Shorthand & Typewriting English Marketing & Salesmanship Commercial Practice Typing Hindi & English Artistic Letter & Organ Technique Household Technology Metal Craft Making in Ferrous Metals Metal Craft Engraving & Enameling Computer Technic & Maintenance Home Appliances & Repairing
AGRI BOTANY AGRI PHY & CLIMAT AGRI ENGINEERING AG MATH & EL STAT AGRONOMY SIXTH	Agricultural Physics & Climatology Agricultural Engineering Agricultural Math. & Elementary Statistics Agronomy (Irrigation, Drainage And Vegetable Culture) for Agriculture Part-2 Candidates. Agricultural Economics Agricultural Zoology Animal Husbandry Agricultural Chemistry Optional Agronomy Sports and Physical Education		
AGRI ECONOMICS AGRI ZOOLOGY ANIML HUSBANDRY AGRI CHEMISTRY OPTNL AGRONOMY SPORT & PHY EDU VOCATIONAL TRADE SUBJECTS VOC GFOND SUBJ VOC FD & FT PRESERVE VOC DRESS M DECO VOC LAUNDRY DYE	General Foundation Subject Food & Fruit Preservation Dress Making & Decoration Laundry & Dyeing		

1. प्रभाषाचार्य प्रमाणपत्र-सह-अंकपत्र को वितरित करने के पूर्व उसमें अंकित प्रविष्टियों का मिलान अपने मूल अभिलेखों से अवश्य कर लें और यदि कोई त्रुटि है तो अपनी सहायिका के साथ सुसंगत साक्ष्यों को संलग्न करते हुए संशोधन के लिए सम्बन्धित क्षेत्रीय तथिचय को शुल्क मूल प्रमाणपत्र-सह-अंकपत्र के साथ भेजें। परीक्षाधीन प्रमाणपत्र-सह-अंकपत्र की प्रविष्टियों को प्रमाण सह-अंकपत्र प्राप्त करने के पूर्व सुचारु देय लें। यदि प्रमाणपत्र-सह-अंकपत्र में अंकित प्रविष्टियों में कोई त्रुटि है तो उसकी शुद्धि के लिए प्रभाषाचार्य के माध्यम से सम्बन्धित क्षेत्रीय तथिचय को तत्काल प्राथना पत्र अवश्य प्रस्तुत करें। परिषद कायदाओं द्वारा प्रमाणपत्र सह-अंकपत्र नियमन की विधि में तीन बंध बाध प्रमाणपत्र-सह-अंकपत्र में संशोधन के लिए दिये गये प्राथना पत्र पर इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अध्याय तीन के विनियम-7 के अनुसार विचार करना सम्भव नहीं होता।
 2. परीक्षाधीन प्रमाणपत्र-सह-अंकपत्र को जानें, नष्ट हो जानें, खराब हो जानें, कस्ट-फूट जानें, बिखरित हो जानें अथवा प्रविष्टियों शुद्ध हो जानें की दिक्कत में उसे परिषद द्वारा प्रतीक प्रमाणपत्र सह-अंकपत्र प्रदान किया जायेगा। इसके लिए परीक्षाधीन को प्राथना पत्र के साथ (1) 200.00 (रु. दो सौ मात्र) के शुल्क को वालन जो राजकीय कोषागार में परिषद के निष्पातित मद "0202 शिक्षा, खेल-कला और संस्कृति, 01-सामान्य शिक्षा, 102-माध्यमिक शिक्षा, 02-बोर्ड की परीक्षाओं का शुल्क" में जमा किया गया हो, (2) निष्पातित प्रारूप में शपथ-पत्र तथा (3) राज्य के किसी एक दैनिक समाचार पत्र की प्रति जिसमें प्रमाणपत्र सह-अंकपत्र को जानें सम्बन्धी विज्ञापित प्रकाशित कराई गई हो, संलग्न करना होगा।
 3. परिषद द्वारा व्ययविगत परीक्षाधिकियों को निष्पातित शुल्क रु. 100.00 (एक सौ मात्र) परिषद के निष्पातित मद में कोषागार में जमा करने पर प्रत्येक प्रमाणपत्र नियमित किया जायेगा। संलग्नक परीक्षाधिकी को परिषद द्वारा प्रत्येक प्रमाणपत्र नहीं दिया जाता है। जिस संख्या में परीक्षाधीन ने अध्ययन किया है उसका जिला विद्यालय निरीक्षक से प्रतिशतप्रमाणपत्र ब्यान्सनाम प्रमाणपत्र प्रत्येक प्रमाणपत्र का कार्य होगा।

प्रमाणपत्र-सह-अंकपत्र में प्रयुक्त विभिन्न कोड के अर्थ एवं अन्य महत्वपूर्ण निर्देश
(Descriptions of codes used in Certificate-cum-Marks Sheet and other Important Instructions)

- GROUP-There are Five subjects' groups in intermediate (12th Std.) Examination.** Group code, Group name, number of subjects offered and maximum marks of each group's are (A - HUM/ARTS - 5-500), (B-SCIENCE - 5-500) (C-COMMERCE - 5-500), (F1- AGRICULTURE PART - ONE - 5-450), (F2- AGRICULTURE PART - TWO - 6-550), and (I- VOCATIONAL TRADE - 4-1000).
- 2. FULL EXAM** - Candidate appearing in all subjects in any group.
- 3. ADL EXAM** - Under Regulation 17(2) chapter - 12 of Board rules candidate can appear in one or a maximum of four subjects excluding Group I, F2, I and subject Computer. Candidate will be given a pass Certificate-Cum-Mark Sheet in the subjects passed. However no division will be awarded. No grace marks will be given in failed subjects.
- 4. D - Subject wise Distinction** will be awarded if 75% or more marks are achieved on subject total. Distinction will not be awarded to failed candidates.
- 5. F - First in subject** if less than 33% marks is achieved.
- 6. FAILED HONS** - Candidate acquiring 75% or more marks on total aggregate will be declared passed First Division with Honours.
- 7. DIV** - First division will be awarded on acquiring 60% or more; Second division on 45% or more but less than 60% Third division on 33% or more but less than 45% marks on total aggregate. For Vocational Trade Group minimum marks for third division is 399.
- 8. Grace Marks-** In Intermediate if a candidate fails in one or more subject having no practical will be awarded grace marks. Subjects Having both theory and practical, grace marks will be given only in theory, If Grace Marks will be given if the candidate fails in practical.
- 9. Beside subject wise minimum pass marks,** candidates of Vocational Trade (Group-I) should achieve paper wise minimum pass mark in each paper of Trade subject separately. Grace marks (if applicable) will be distributed according to those papers of Trade Subject in which the candidate has failed.
- 10. Grats Marks-** If a candidate is declared successful in Intermediate examination without grace and his/her acquired grand total marks is 1 (one) less than the minimum total for First Division or Second Division then he/she will awarded grats marks 1 (one) in that subject's part in which he has secured minimum marks to change his previous division.
- 11. Scrutiny-Scrutiny form** can be obtained from principal/centre superintendent. Scrutiny form along with required scrutiny fee (Rs.100/- per paper through treasury challentend should be sent to concerned Regional office of the Board through Registered post within 30 days of the declaration of the Result. For Practical Subjects Scrutiny fee of Rs.100.00 will be paid separately.
- 12. Candidate should verify the result's particulars himself.** In case any error are found, he/she should apply to the Board's Regional Office through their Principal/Centre Superintendent immediately for necessary corrections. Right of doing any type of corrections of the result's particulars is with Board only. Change in particulars will be intimated to the candidate through their principal/ Centre Superintendent.
- 13. In Compulsory subject Sports & Physical Education exam of 50 Marks of theory and 50 Marks of Practical has been conducted internally by the institution.** Minimum pass marks are 33%. Marks of this subject will have no effect on the result. Totaly Blind or Handicapped candidates have been exempted from this subject.
- 1-GROUP- There are Five subjects' groups in intermediate (12th Std.) Examination.** Group code, Group name, number of subjects offered and maximum marks of each group's are (A - HUM/ARTS - 5-500), (B-SCIENCE - 5-500) (C-COMMERCE - 5-500), (F1- AGRICULTURE PART - ONE - 5-450), (F2- AGRICULTURE PART - TWO - 6-550), and (I- VOCATIONAL TRADE - 4-1000).
- 2. FULL EXAM**-परीक्षार्थी किसी भी एक एगु हउ उपर्युक्त के अनुसार पबलित रसी.विषयों में परीक्षा में सम्मिलित हुवा है।
- 3.ADL EXAM-**बीएफ विधियों के अतिरिक्त 17(2) अध्याय-12 के अनुसार परीक्षार्थी एक अथवा अधिकतम चार विषयों में कमपाउंड, ग्राम्प-भाग-1 एवं 2 तथा व्यावसायिक बन के विषयो को छात्रकर्म सम्मिलित हो सकता है। परीक्षार्थी को उत्तीर्ण होने विषयो में उत्तीर्ण होने का प्रमाणपत्र प्राप्त होगा। दिता जायेगा किन्तु कोई भी नहीं दी जायेगी। किसी विषय में अनुत्तीर्ण होने पर कौनसे अनुत्तीर्ण हुए नहीं हैं।
- 4-D -विषय के पुष्कां को 75%** या उससे अधिक अंक प्राप्त पर विवेक संपादना।
- 5-F - विषय में 33%** से कम अंक प्राप्त पर अनुत्तीर्ण।
- 6-FIRST HONS - स्क्रूटनी प्राप्त के पुष्कां को 75%** या उससे अधिक अंक प्राप्त पर सम्मान सहित उत्तीर्णी।
- 7-DIV-सम्पूर्ण प्राप्त के पुष्कां को 60%** या उससे अधिक प्राप्त अथवा श्रेणी 60% से कम तथा 45% या उससे अधिक पर द्विविधि श्रेणी, 33% या उससे अधिक विजित 45%, से कम पर तृतीय श्रेणी। व्यावसायिक वर्ग (I) में तृतीय श्रेणी के लिये न्यूनतम योग 399 अंक निर्धारित है।
- 8-अनुत्तीर्णक सुपरवीज़र परीक्षा में परीक्षार्थी को एक या उस से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण होने पर इन अनुत्तीर्ण विषयों में अनुत्तीर्ण हुआ है।** ऐसे विषयों निम्नलिखित रूप प्रमाणपत्र होती प्रस्ताव की परीक्षा आयोजित होती है। परीक्षा केवल लिखित रूप में अनुत्तीर्ण होने पर ही अनुत्तीर्ण देय होगा। प्रमाणपत्र वापस में अनुत्तीर्ण होने पर कौनसे अनुत्तीर्ण हुए नहीं हैं।
- 9-व्यक्तिगत रूप से परीक्षार्थी को विद्यार्जन निगरानी उत्तीर्णक प्राप्त करने के साथ व्यावसायिक वर्ग के परीक्षार्थी को व्यावसायिक ट्रेड में प्रवेशक संस्थान में निर्धारित न्यूनतम अध्ययन की बात करना आवश्यक है। व्यावसायिक ट्रेड विषय के एक या अधिक प्रश्नों में अनुत्तीर्ण होने प्रमाणपत्र में क्याजातिनि परीक्षा में अनुत्तीर्ण प्रमाण किताब जायेगी।**
- 10-विशेष आधिकारिक रूप से कौनसे परीक्षार्थी स्वरूपविशिष्ट परीक्षा में अनुत्तीर्ण अतिरिक्त बिना किसी कारणों हुवा है और उसके समस्त छात्रको का कुछ जमा प्रत्येक अथवा डिग्रियां श्रेणी में न्यूनतम प्राप्त से 01 अंक कम है ता उन परीक्षार्थी को 01 अंक का विशेष अनुत्तीर्ण प्रमाण कर अपनी उच्च श्रेणी में उत्तीर्ण घोषित किया जायेगा।**
- 11-स्क्रूटनी-स्क्रूटनी का आवेदन पर प्रमाणपत्र के सम्मिलित शुल्क से प्राप्त किया जा सकता है। स्क्रूटनीकार का आवेदन पर निमित्त शुल्क को खरा पीडीसी तरह से सम्मिलित कैपीट प्रकाशन में परीक्षालय प्रेषणा के 30 दिनों के अन्दर अवश्य भुगत जाना चाहिये। स्क्रूटनीकार का शुल्क रु० 100.00 प्रति प्राप्तरूप है। प्रमाणपत्र विषयो की स्क्रूटनीकार रु० 100.00 का शुल्क प्रति प्रमाणपत्र विषय प्रकृत से देय होगा। अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी स्क्रूटनीकार परिभाषा की प्रतीक्षा में करें अथवा आगामी परीक्षा का आवेदनकर विषय।**
- 12-परीक्षार्थी अपने परीक्षालय स्थानीय विद्यालय की बारी खाती जीव वचन करें हैं।** किसी भी प्रकार की फुटि घोरलिखित होने पर प्रमाणपत्र को मध्यम से सत्यापन निम्नलिखित तत्वगत करने हैं। परीक्षार्थी को प्रमाणपत्र को शुद्ध करने का अधिकार है। किसी भी प्रकार के सम्मान की तुलना परीक्षार्थी को प्रमाणपत्र/केन्द्रव्यवस्थापक से मध्यम से लेने का अधिकार है।
- 13-परीक्षार्थी पिछले एक साल रिजल्टिंग में 50 अंकों को प्रतिफल प्राप्त (अथवा) प्रति 50 अंकों की प्रमाणपत्र परीक्षा विफलता रूप पर अतिरिक्त की गई है। रिजल्ट न्यूनतम प्राप्त 33%।** इस विषय के छात्रको का परीक्षालय पर कोई डाटा नहीं दिया जायेगा। प्रकृत से पूर्णव्याप्त अथवा विफलता परीक्षार्थी इस विषय की परीक्षा से मुक्त रहेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रमाणपत्र-साह-अंकपत्र के सम्बन्ध विवरण विद्यालय अभिलेखानुसार पूर्णतया शुद्ध एवं सत्य है।
(This is to certify that all the entries of the certificate-cum-marks sheet are fully correct and true according to the school's record.)
परीक्षार्थी को प्रमाणपत्र-साह-अंकपत्र निम्न करने की तिथि: 25/04/2024
Date of Issuing the Certificate-cum-Marks sheet to the candidate: 25/04/2024

(Signature and Seal of the Principal)